

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 22 मार्च, 2021

अधिसूचना

सं. फा.सं. 2-23/2020-राजस्व- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, के दिनांक 11/04/1960 की अधिसूचना सं. 14/3/60-एनएल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9/8/2016 के का. झा. सं. एबी. 14017/13/2016-स्था.(भनि.) तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दिनांक 19/01/2018 को जारी ज्ञापन सं. 16-3/2017-पीडब्ल्यू के अनुसरण में उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक 16/02/2011 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना सं. 61/2011/फ.सं. 2-23/2006/राजस्व में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत उपायुक्त के स्थापना में धारित राजस्व निरीक्षक/सहायक भू-अभिलेख अधिकारी, सर्वेक्षक एवं ड्राफ्ट्समैन/राजस्व ड्राफ्ट्समैन, सर्वेक्षक, ड्राफ्ट्समैन, कम्प्यूटर(राजस्व), भण्डार पाल तथा पटवारी के वर्ग 'ग' पद के वेतन मान विनियमित करते हुए भर्ती नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघराज्य क्षेत्र (राजस्व विभाग के वर्ग 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
(ii) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

संशोधन
अनुसूची-I

- (i) राजस्व निरीक्षक/सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची I के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (रु.29200-92300)
----	-------------------------	--

- (ii) इस अनुसूची के कॉलम- 12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12.	पदोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 3 (रु.21700-69100) में कार्यरत पटवारी में से जिन्होंने इस ग्रेड में दस(10) वर्षों की अर्हता सेवा पूर्ण की हो।
-----	---

अनुसूची-II

- (i) सर्वेक्षक एवं ड्राफ्ट्समैन/राजस्व ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची II के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (रु.29200-92300)
----	-------------------------	--

(ii) इस अनुसूची के कॉलम- 12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12.	पदोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 रु.25500-81100 में कार्यरत सर्वेक्षक/ड्राफ्ट्समैन तथा कम्प्यूटर(राजस्व) में से जिन्होंने संबंधित ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण की हो तथा पटवारियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले समकक्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ हो एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
-----	---

अनुसूची-III

सर्वेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची III के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु.25500-81100)
----	-------------------------	--

अनुसूची-IV

ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची IV के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु.25500-81100)
----	-------------------------	--

अनुसूची-V

कम्प्यूटर(राजस्व) के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची V के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु.25500-81100)
----	-------------------------	--

अनुसूची-VI

(i) भण्डार पाल के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची VI के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु.25500-81100)
----	-------------------------	--

(ii) इस अनुसूची के कॉलम- 12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12.	प्रतिनियुक्ति पर :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 2 रु.19900-63200 में कार्यरत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समामेलित संवर्ग के अवर श्रेणी लिपिकों या उपायुक्त की स्थापना के किसी अन्य समकक्ष वर्ग के पद में से जिन्होंने संबंधित ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो।
-----	---

अनुसूची-VII

पटवारी के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची VII के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (रु.21700-69100)
----	-------------------------	--

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

स्वामी राजीवकुमार
उप सचिव (राजस्व)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 22 मार्च, 2021

अधिसूचना

सं.....फा.सं. 2-23/2020-राजस्व- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, के दिनांक 01/04/1960 की अधिसूचना सं. 14/3/60-एएनएल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9/8/2016 के का. झा. सं. एबी. 14017/13/2016-स्था.(भनि.) तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दिनांक 19/01/2018 को जारी ज्ञापन सं. 16-3/2017-पीडब्ल्यू के अनुसरण में उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक 16/02/2011 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना सं. 63/2011/फ.सं. 2-23/2006/राजस्व में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत उपायुक्त के स्थापना में धारित अभिलेखपाल, गेस्टेदनर ऑपरेटर तथा वाहन चालक के वर्ग 'ग' पद के वेतन मान विनियमित करते हुए भर्ती नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघराज्य क्षेत्र (राजस्व विभाग के वर्ग 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

संशोधन
अनुसूची-I

- (i) अभिलेखपाल के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची I के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (रु.19900-63200)
----	-------------------------	--

- (ii) इस अनुसूची के कॉलम- 12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12.	पदोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 रु.18000-56900 में इस विभाग में कार्यरत बहु-कार्य कर्मचारियों में से जिन्होंने X कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिनके पास फाईलों/ अभिलेखों आदि के रख-रखाव का अनुभव हो।
-----	--

अनुसूची-II

- (i) गेस्टेटर ऑपरेटर के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची II के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (रु.19900-63200)
----	-------------------------	--

- (ii) इस अनुसूची के कॉलम- 12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12.	पदोन्नति :- उपायुक्त की स्थापना में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 रु.18000-56900 में कार्यरत बहु-कार्य कर्मचारियों में से जिनके पास गेस्टेटर मशीन के संचालन और रख-संभाल का अनुभव हो।
-----	---

अनुसूची-III

- वाहन चालक के पद के लिए भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची III के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (रु.19900-63200)
----	-------------------------	--

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

सिमा रानी राजपूत
उप सचिव (राजस्व)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 मार्च, 2021

अधिसूचना

सं.....फा.सं. 2-23/2020-राजस्व। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 21/02/1985 की अधिसूचना सं.यू. 14939/2/83/ए एन एल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09/08/2016 के का.ज्ञा. सं. ए.बी. 14017/13/2016 -स्था (भ.नि.) तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी दिनांक 19/01/2018 के ज्ञापन सं.16-3/2017-पी.डब्ल्यू के अनुसरण में उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक 16/02/2011 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना सं.62/2011/फा.सं.2-23/2006/राजस्व में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत उपायुक्त स्थापना में धारित उप तहसीलदार के वर्ग "ख" (अराजपत्रित, गैर लिपिकवर्गीय) पद के वेतनमान को विनियमित करते हुए भर्ती नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र (उप तहसीलदार के वर्ग "ख" अराजपत्रित, गैर लिपिकवर्गीय पद) की भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने ही तिथि से लागू होंगे।

संशोधन

2. (i) भर्ती नियमावली (यहाँ इसके पश्चात् संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)
----------------------------	---

- (ii) इस अनुसूची के कॉलम-12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12	<u>पदोन्नति:-</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु.29200-92300) में कार्यरत सहायक भू-अभिलेख अधिकारी/राजस्व निरीक्षक में से 60 प्रतिशत पद, जिन्होंने इस ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) में कार्यरत सर्वेक्षक एवं ड्राफ्ट्समैन, राजस्व ड्राफ्ट्समैन में से 40 प्रतिशत पद, जिन्होंने इस ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो। <u>नोट:-</u> अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड में निर्धारित अर्हक सेवा पूरा करने की तिथि से पदोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार किया जाएगा।
----	---

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के
आदेश से तथा उनके नाम पर


उप सचिव (राजस्व)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 मार्च, 2021

अधिसूचना

सं..... फा.सं. 2-23/2020-राजस्व। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, के दिनांक 21/02/1985 की अधिसूचना सं. यू-14939/2/83/ए.एन.एल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09/08/2016 के का.ज्ञा.सं. ए.बी. 14017/13/2016-स्था (भ.नि.) तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी दिनांक 19/01/2018 के ज्ञापन सं. 16-3/2017- पी. डब्ल्यू के अनुसरण में उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक 28/08/2008 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना सं. 124/2008/फा. सं. 2-23/2006/राजस्व में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत उपायुक्त स्थापना में धारित तहसीलदार/भू-अभिलेख अधिकारी के वर्ग 'ख' (राजपत्रित) पद के वेतनमान को विनियमित करते हुए भर्ती नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र तहसीलदार/भू-अभिलेख अधिकारी के वर्ग 'ख' (राजपत्रित) पद की भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
(ii) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

संशोधन

2. (i) भर्ती नियमावली (यहाँ इसके पश्चात् संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची के विद्यमान कॉलम-4 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900 - 142400)
----------------------------	--

- (ii) इस अनुसूची के कॉलम-12 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12.	पदोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में कार्यरत उप-तहसीलदार में से जिन्होंने इस ग्रेड में 06 (छह) वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो या वेतन मैट्रिक्स-5 (रु.29200-92300) में कार्यरत उप तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक/सहायक भू-अभिलेख अधिकारी, सर्वेक्षक एवं ड्राफ्ट्समैन तथा राजस्व ड्राफ्ट्समैन के पद में 08 (आठ) वर्षों की संयुक्त सेवा, की हो उसमें से उप तहसीलदार के स्तर पर कम से कम तीन वर्षों की सेवा प्रदान किया हो। नोट 1: जहाँ कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले पर विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो, और जिन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। नोट 2: अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड/पदों में निर्धारित अर्हक सेवा पूरा करने की तिथि से पदोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार किया जाएगा।
-----	--

उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रुपिणी मुखर्जी
12/3/21
उप सचिव (राजस्व)